

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103001142009

व्यवहार वाद क्रं.-114ए/2009

संस्थापित दिनांक-26.02.2009

1.जगभान पुत्र कोमल लोधी आयु 38 वर्ष 2.रमेश पुत्र कोमलसिंह लोधी आयु 40 वर्ष 3.राजाराम पुत्र प्राणसिंह लोधी आयु 65 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम जमाखेडी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0) वादीगण
विरुद्ध
1.जयराम पुत्र खेतसिंह लोधी आयु 65 वर्ष 2.मोहनलाल पुत्र हल्का हरिजन आयु 60 वर्ष 3.मटटू पुत्र बाबूलाल ढीमर आयु 35 वर्ष 4.नथन पुत्र सरदारसिंह लोधी आयु 35 वर्ष 5.परमालसिंह पुत्र जहारसिंह लोधी 6.रघुवीरसिंह पुत्र जयराम लोधी आयु 40 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम जमाखेडी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0) प्रतिवादीगण 7.मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलैक्टर जिला अशोकनगर (म0प्र0) फोरमल प्रतिवादी
वादीगण द्वारा श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रतिवादीगण एकपक्षीय।

— / / निर्णय / / —

(आज दिनांक 09.11.2017 को घोषित)

01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम जमाखेडी स्थित भूमि सर्वे क्र. 243/5 एवं 243/4 रकवा 2 हेक्टेयर (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा, कब्जा वापसी एवं अंतर्वर्ती लाभ बाबत प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उक्त वाद भूमि उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। वादीगण के अनुसार उन्होंने उक्त विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा क्रय की थी एवं कब्जा प्राप्त किया था एवं क्रय दिनांक से उक्त विवादित भूमि वे मालिक काबिज है। वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है और उन्होंने उक्त विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर उस कच्चे मकान का निर्माण कर लिया है, इसी कारण वादीगण को दस हजार रुपये का प्रतिवर्ष के हिसाब से नुकसान हो रहा है। अतः वादीगण ने अपने वादपत्र के माध्यम से इस आशय की डिक्री चाही है कि उन्हें उक्त विवादित भूमि का स्वत्व आधिपत्यधारी घोषित किया जावे तथा उन्हें उक्त विवादित भूमि से कब्जा दिलाया जावे और साथ ही प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण, वादीगण के स्वत्व की उक्त विवादित भूमि न तो स्वयं हस्तक्षेप करें और न ही किसी अन्य के माध्यम से करावे।

04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार उनके द्वारा कभी भी किसी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया

गया और न ही मकान बनाने का प्रयास किया गया। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी ने प्रस्तुत वाद उनकी भूमि को हड़पने की नियत से गलत आधारों पर प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी क्र.3 का अभिवचन है कि वह उक्त विवादित भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से मकान बनाकर रह रहा है तथा वादीगण ने अपना सर्वे क्र. 293/5 पर बना लिया है तथा वादीगण के मकानों से उसका कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण के अनुसार भूमि का विक्रयपत्र भूराजस्व संहिता की धारा 167 के उल्लंघन में किया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

05. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण ग्राम जमाखेडा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 243/5 एवं 243/4 रकबा 2.000 हेक्टेयर भूमि जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्से में लाल रोशनार्ई से दर्शाया गया है, विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी है ?	नहीं
02.	क्या उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादीगण ने वादी क आधिपत्य में हस्तक्षेप किया ?	नहीं
03.	सहायता एवं वादव्यय ?	“निर्णयानुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

04.	क्या प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि सर्वे नंबर 243/5 रकवा 1.000 हेक्टेयर जिसे नक्से में अ,ब,स,द, भाग से दर्शाया गया है पर दिनांक 15.07.10 को अवैध कब्जा कर लिया है ?	नहीं
-----	---	------

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

06. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 अतलसिंह, वा.सा.2 रमेश की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्र0पी01 लगायत प्र0पी0 17 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वर्तित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01, 02 एवं 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 03 का निराकरण पृथक से किया जा रहा है।

--:: वादप्रश्न क्रं. 01,02 एवं 04 ::--

08. वा.सा. 02 रमेश ने अपने कथन में बताया है कि वह प्रतिवादीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि वादीगण के स्वत्व की है। उक्त साक्षी के अनुसार उनके द्वारा उक्त भूमि विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई थी तथा प्रतिवादीगण ने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया है और मकान का निर्माण कार्य कर लिया है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादीगण उक्त भूमि से अपना कब्जा नहीं हटा रहे। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि उक्त भूमि का शासकीय पट्टा हुआ था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे रहमद एवं

तुलेखा ने जो भूमि दिखाई थी उसकी उसने रजिस्ट्री कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने उक्त भूमि जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना क़य की है। वा.सा.1 अतलसिह ने अपने मुख्य परीक्षण में वा.सा.2 के अनुसार कथन किया है। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि जो कब्जा बता रहा है वह अंदाज से बता रहा है।

09. वादी ने जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है उसमें वादी ने यह कथन किया है कि उक्त विवादित भूमि उसके स्वामित्व की भूमि है। वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि उसने क़य की थी इसलिये वह उसका स्वत्वाधिकारी है। वादी के उपरोक्त कथन के आधार पर यह निष्कर्ष देना कि वादी उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी है समीचीन प्रतीत नहीं होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की विवेचना उपरान्त ही यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि वादी उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी है। वादी ने जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये हैं उनमें प्र0पी03 एवं प्र0पी04 के खसरो में वादीगण का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज होना दर्शित हो रहा है। वादीगण ने प्र0पी011 का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तथा प्र0पी015 का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया है किंतु वादीगण ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों को प्रमाणित नहीं कराया है। वादीगण का अपनी मौखिक साक्ष्य में यह कथन है कि उक्त विवादित भूमि रहमत एवं तुलेखा को शासकीय पट्टे पर प्राप्त हुई थी।

10. ऐसी दशा में जबकि वादीगण ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि थी, वादी पर यह भार था कि वह प्रमाणित करता कि उक्त शासकीय पट्टे की भूमि को विक्रय करने का अधिकारी तुलेखा एवं रहमत को था या नहीं। मात्र रजिस्ट्री के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि वादीगण उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हो गये हैं। यदि कोई भी भूमि पट्टे पर प्राप्त की जाती है तो निश्चित रूप

से ऐसी भूमि का पट्टाधारी उक्त भूमि का स्वत्वाधिकारी नहीं होता तथा वह मात्र ऐसी भूमि को एक निश्चित सीमा तक अपने उपयोग में ले सकता है। उल्लेखनीय है कि ऐसी शासकीय पट्टों की भूमि पर जब तक भूमि स्वामी अधिकार शासन द्वारा प्रदान नहीं किया जाता तब तक पट्टाधारी ऐसी भूमि को विक्रय नहीं कर सकता। वादी ने प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि रहमद एवं तुलेखा को उक्त विवादित भूमि विक्रय करने का अधिकारी प्राप्त हो गया था। उल्लेखनीय है कि वादीगण ने खसरा प्र०पी० 12 लगायत प्र०पी०14 अभिलेख पर प्रस्तुत किये हैं, जिनमें उक्त विवादित भूमि पर वादीगण का नाम कब्जेदार के रूप में होना दर्शित हो रहा है किंतु मात्र खसरा की एंट्री के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि वादीगण उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं।

11. उल्लेखनीय है कि वादीगण ने जो सीमांकन रिपोर्ट प्र०पी०05 अभिलेख पर प्रस्तुत की है वह स्पष्ट नहीं है क्योंकि उक्त सीमांकन रिपोर्ट में वादीगण के कब्जे के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का नाम भी कब्जेदार के रूप में उल्लेखित हो रहा है। इस प्रकार वादी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादीगण उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं और साथ ही वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा उनके आधिपत्य की भूमि में हस्तक्षेप किया जा रहा है या अवैध कब्जा कर लिया गया है। परिणामतः वादप्रश्न क्र.1,2, एवं 4 नकारात्मक निर्णीत किये जाते हैं।

—:: वादप्रश्न क्र.—03 ::—

12. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामतः

वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।

13. वाद का संपूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर